

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 477/2023

1. Smt. Kiran Wife Of Late Shri Tensingh, Aged About 40 Years, Resident Of Village Post Sari, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu, Rajasthan.
2. Ms. Anjana Kumari Daughter Of Late Shri Tensingh, Aged About 25 Years, Now After Marriage, Wife Of Vijay, Resident Of Village Togda Swarup Singh, Tehsil And Distirct Jhunjhunu Raj.
3. Ms. Poonam Kumari Daughter Of Late Shri Tensingh, Aged About 22 Years, Now After Marriage, Wife Of Rahul Choudhary, Resident Of Village Chhawani, Tehsil Neem Ka Thana District Sikar, Raj.
4. Sailesh Alias Salesh Kumar Son Of Late Shri Tensingh, Aged About 19 Years, Resident Of Village Post Sari, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu, Rajasthan.
5. Smt. Rampyari Wife Of Late Shri Pokarram, Aged About 80 Years, Resident Of Village Post Sari, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu, Rajasthan.

----Appellants

Versus

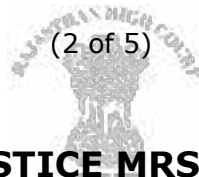
1. Sudesh Kumar Son Of Shri Ramsingh Alias Rajsingh, Resident Of Mukrandpur, Post Jhal , Gopalpur, Ps Ekagila, District Firojabad (U.p.) (Driver Of Offending Vehicle Dumper No. Hr-55-H-1296).
2. Jaibirsingh Bhadana Son Of Shri Jiaram Bhadana, Resident Of 107, Mohalla Sahariya, Near Boys Govt School, Village Post Pali Faridabas, Sec. 55, Faridabad (Haryana) (Owner Of Offending Vehicle Dumper No. Hr-55-H-1296).
3. Shriram General Insurance Company Limited, Through Manager, Registered Office At E-8, E.p.i.op., Riico Industrial Area Sitapura, Sanganer, Jaipur, (Raj.) (Insurer Of Offending Vehicle Dumper No. Hr-55-H-1296).

----Respondents

---

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| For Appellant(s)  | : | Mr. Bhanu Prakash Verma |
| For Respondent(s) | : | Ms. Rajani Vyas         |

---



**HON'BLE MR. JUSTICE MRS. SHUBHA MEHTA**  
**Order**

**31/01/2024**

अपीलार्थीगण—दावेदारों की ओर से यह अपील विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, (विशिष्ट न्यायालय सा.प्र.दं.) जयपुर महानगर—जयपुर (जिसे आगे अधिकरण से सम्बोधित किया जाएगा) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा संख्या—**711/2017 (सीआईएस संख्या 494/2017)** में पारित निर्णय एवं अवार्ड दिनांक **07.06.2022**, जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण—दावेदारों के पक्ष में कुल क्षतिपूर्ति राशि **11,23,205/—रुपये** का पंचाट पारित किया गया, से व्यथित होकर एवं उक्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार दिनांक **17.06.2017** को तेन सिंह के अन्य व्यक्तियों के साथ कार में सवार होकर जाते हुए को गांव काठूवास बस स्टैण्ड से पहले सामने से आ रहे वाहन डम्पर के चालक द्वारा अपना वाहन तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए टक्कर मारने के परिणामस्वरूप आई चोटों के कारण उक्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितगण (अपीलार्थीगण) की ओर से विद्वान अधिकरण में क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिकरण के द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये। पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिकरण द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि **11,23,205/—रुपये** मय ब्याज दिलाई गई, जिसमें वृद्धि किये जाने हेतु अपीलार्थीगण—दावेदार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने दुर्घटना के समय मृतक को अकुशल श्रमिक मानते हुए अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की गणना कर **5382/—** रुपये मासिक आय के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की है। उनका तर्क रहा कि तत्समय वर्ष 2017 में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **207/—** रुपये प्रतिदिन थी और यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि माह में 30 दिन की न्यूनतम मजदूरी की गणना क्षतिपूर्ति राशि की गणना के लिए की जानी चाहिए। उक्तानुसार गणना करने पर 30 दिन की कुल मजदूरी **207/—रुपये** प्रतिदिन

के अनुसार 6210/— रुपये प्रतिमाह आय होती है। अतः इसी अनुरूप आय एवं भविष्य में आय में बढ़ोत्तरी की प्रत्याशा की गणना कर आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए।

उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने सम्पदा की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप कोई राशि नहीं दिलवाई है, अतः इस मद में अपीलार्थीगण 15 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका कथन है कि इनके अतिरिक्त वे किसी भी अन्य मद में दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि एवं अधिकरण के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण-दावेदारों ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये एवं इनमें प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाए जाने एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुति से ब्याज दिलाए जाने की प्रार्थना की।

- 1- National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors.  
(2017) 16 SCC 680
- 2- New India Assurance Co. Ltd. Vs. Somwati & Ors.  
(2020) 9 SCC 644
- 3- Magma General Insurance Co. Ltd. Vs. Nanuram & Ors.  
(2018) 18 SCC 130
- 4- United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder  
(2020) Supreme Court (SC) 425

प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अधिकरण द्वारा जो क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई है वह पर्याप्त एवं न्यायसंगत है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील निरस्तनीय है, निरस्त की जाए।

उभय पक्षकारों विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। आलौच्य निर्णय एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

### **आय की क्षति (Loss of Income)**

प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 17.06.2017 को होना स्वीकृत तथ्य हैं विद्वान अधिकरण ने मृतक तेन सिंह को अकुशल श्रमिक मानकर उसकी आय का निर्धारण किया है एवं तत्समय प्रभावी विधि के अनुसार उसकी मासिक आय 5382/— रुपये मानी है जो हमारे विचार से सही नहीं है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आय की गणना के लिए एक माह में 30 दिन की मजदूरी की गणना की जानी चाहिए। वास्तविकता में मृतक की आय 30 दिन की 207/—रुपये प्रतिदिन के आधार

पर 6210/—रुपये मासिक मानकर ही क्षतिपूर्ति की गणना की जानी चाहिए थी। अतः इस न्यायालय की राय में आय की क्षति के निर्धारण के क्रम में मृतक की मासिक आय 6210/— रुपये माना जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है। उक्तानुसार गणना करने पर वार्षिक आय **74520/—** रुपये मानी जाती है।

अतः आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना उचित है :-

| क्र.सं. | मद                                                              | क्षतिपूर्ति राशि            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | मृतक की वार्षिक आय                                              | 74520/-                     |
| 2.      | भविष्य में होनेवाली आय की वृद्धि की प्रत्याशा                   | 18630/- (25% of the income) |
| 3.      | योग                                                             | 93150/-                     |
| 4.      | मृतक द्वारा स्वयं पर किये जानेवाले खर्च की कटौती (1/4)          | 23288/- (1/4 of 93150)      |
| 5.      | उक्त कटौती के पश्चात शेष राशि (अपीलार्थीगण की वार्षिक निर्भरता) | 93150-23288=69862/-         |
| 6.      | मृतक की आयु के आधार पर प्रयोज्य गुणक                            | 15                          |
| 7.      | आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि                                 | 69862x15=10,47,930/-        |

अतः विद्वान अधिकरण द्वारा आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाई गई राशि **9,08,205/—**रुपये में **1,39,725/—** रुपये की वृद्धि करते हुए इस न्यायालय द्वारा आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप **10,47,930/—** रुपये राशि दिलाया जाना उचित है।

**पारम्परिक मद (Conventional Heads)**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चयों United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder (2020) Supreme Court (SC) 425, New India Assurance Co. Ltd. Vs. Somwati & Ors. (2020) 9 SCC 644 & Magma General Insurance Co. Ltd. Vs. Nanuram & Ors. (2018) 18 SCC 130 में पारम्परिक मदों को परिभाषित करते हुए उसमें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई है।

वर्तमान प्रकरण में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को मृतक की मृत्यु से हुए दुख, संताप एवं साहचर्य (Loss of Consortium) की क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक को **40,000/—** रुपये, दाह संस्कार के मद में **15000/—**रुपये इस प्रकार

कुल राशि **2,15,000/-**रुपये की राशि दिलवाई हैं। सम्पदा की क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि नहीं दिलवाई है, जो हमारे विचार से उक्त न्यायिक विनिश्चयों के प्रकाश में दिलाया जाना जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में उक्त राशि के **अतिरिक्त** सम्पदा की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप **15,000/-रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि इस मद में दिलाया जाना उचित है।

अतः विद्वान अधिकरण द्वारा इस मद में दिलाई गई **2,15,000/-** रुपये की राशि में **15,000/-** रुपये की वृद्धि करते हुए इस न्यायालय द्वारा **2,30,000/-** रुपये की राशि दिलाया जाना उचित है।

इस प्रकार विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण-दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि करते हुए निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है।

| क्र.सं. | मद                              | क्षतिपूर्ति राशि                      |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि | 10,47,930/-                           |
| 2.      | पारम्परिक मद की राशि            | 2,30,000/-                            |
| 3.      | कुल क्षतिपूर्ति राशि            | 1047930+230000=<br><b>12,77,930/-</b> |

परिणामतः विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण-दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि **11,23,205/-** रुपये में उपर्युक्तानुसार **1,54,725/-**रुपये की वृद्धि करते हुए करते हुए इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण-दावेदार के पक्ष में कुल क्षतिपूर्ति राशि **12,77,930/-** रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित होगी।

जहाँ तक ब्याज का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज दर, ब्याज प्राप्त करने की तिथि तथा क्षतिपूर्ति राशि के आनुपातिक वितरण के क्रम में समस्त शर्तें विद्वान अधिकरण के आदेशानुसार प्रभावी एवं यथावत रहेंगी।

उपर्युक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है। तदनुसार लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J